न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **132/2021** दायर दिनाँक **08.07.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. उम्मेद खां पुत्र चान्द खां उम्र 82 वर्ष जाति कायमखानी निवासी रेल्वे स्टेशन, डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. फुल मोम्मद पुत्र चान्द खां उम्र 55 वर्ष 2. हुसैन खां पुत्र चान्द खां उम्र 70 वर्ष 3. समीर खां पुत्र हसन खां उम्र 30 वर्ष 4. परवेज खां पुत्र हसन खां उम्र 25 वर्ष 5. शबनम बानो बैवा हसन खां उम्र 55 वर्ष 6. तहसीलदार डीडवाना ।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित:–

1. श्री महावीर चतुर्वेदी, वकील वादी
2. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील प्रतिवादी सं0 01, 02, 04

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.09.2021**

उक्त प्रकारण में प्रतिवादी संख्या 1. फूल मो0, 2. हुसैन खां, 4. परवेज खां की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया प्रार्थना पत्र के संक्षेप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि –

1. यह है कि वादी द्वारा मिथ्या तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है आवेदन में खसरा नम्बर 1114 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा बताया है जबकि रेकर्ड में 10 बीघा 11 बिस्वा ही अंकित है।
2. यह है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए वास्तविक तथ्य छुपाते हुए उक्त भूमि नगरपालिका में दर्ज होने के पश्चात भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणााधिकार का नही है एवं उक्त खसरा नम्बर के संबन्ध में राजस्व अधिकारियों के नाम श्रीमान के न्यायालय द्वारा तहरीर भी मौका रिपोर्ट की जारी हुई है जो विधि सम्मत नही है।
3. यह है कि उक्त प्रकार में वर्णित खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में नगरपालिका मण्डल डीडवाना के नाम दर्ज [illegible] है। जिससे उक्त भूमि आबादी क्षैत्र में आ चुकी है। इस कारण से [illegible] वाद सुनने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौका रिपोर्ट की तहरीर के आदेश को अपास्त करते हुए उक्त वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने से खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

अनवान प्रकरण में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि

1. यह है कि वादी की खातेदारी का खेत जो की पैतृक राजस्व भूमि है तथा जिसकी प्रकृति जफर बदल गई है परन्तु प्रकृति राजस्व भूमि की है तथा उक्त राजस्व भूमि का रिकॉर्ड भी पटवारी हल्का डीडवाना के पास है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ी का आदेश जब खसरा सं0 1114 मौजा डीडवाना की खातेदारी की खतौनी में पटवार हल्का डीडवाना एवं भू–अभिलेख निरिक्षक डीडवाना दर्ज है, जिससे राजस्व भूमि की उप पंजियन महोदय डीडवाना में वर्तमान राजस्व भूमि की DLC दर से रजिस्टर्ड बैचाण नामा में पंजियन उम्मेद खां वादी का अधिकार कानुनी रूप से है।
2. यह है कि प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा राजस्व भूमि खतौनी में दर्ज है तथा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का कोई भी प्रावधान प्रतिवादीगण ने नही बताया है।

अतः प्रार्थना–पत्र जवाब आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का वादी की और से पेश कर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने की कृपा करावें।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक डीडवाना व पटवारी हल्का डीडवाना से संयुक्त मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। जिसके अनुसार मौजा डीडवाना के खसरा सं0 1114 रकबा 10.11 बीघा का मौका देखा गया। मौके पर खसरा सं0 1114 रकबा 10.11 बीघा के पश्चिम भाग पर आबादी विकसित हो चुकी है तथा उक्त खसरा सं0 1114 के पश्चिम भाग एवंउत्तर में स्थित खसरा नम्बर पर भी पूर्णतः आबादी विकसित हो चुकी है। जिस कारण मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा सं0 1114 की खातेदारी नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम दर्ज है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा सं0 1114 सम्पूर्ण नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से दर्ज है जो कि अब आबादी भूमि है। जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया जावें।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी का खेत जो की पैतृक राजस्व भूमि है तथा जिसकी प्रकृति जफर बदल गई है परन्तु प्रकृति राजस्व भूमि की है तथा उक्त राजस्व भूमि का रिकॉर्ड भी पटवारी हल्का डीडवाना के पास है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ी का आदेश जब खसरा सं0 1114 मौजा डीडवाना की खातेदारी की खतौनी में पटवार हल्का डीडवाना एवं भू–अभिलेख निरिक्षक डीडवाना दर्ज है। प्रतिवादीगण ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा राजस्व भूमि खतौनी में दर्ज है तथा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का कोई भी प्रावधान प्रतिवादीगण ने नही बताया है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा सं0 1114 की खातेदारी नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम दर्ज है। जो जमाबन्दी रेकर्ड से भी स्पष्ट है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा सं0 1114 रकबा 10.11 बीघा वर्तमान में खातेदारी नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से दर्ज है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा के पश्यिम में एवं उक्त खसरा के पश्चिम एवं उत्तर तरफ के खसरों में भी पूर्णतः आबादी विकसित हो चुकी है। जब सम्पूर्ण खसरा नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम से दर्ज हो चुका है तो वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी स्वयं अपने स्तर पर सेटलमेन्ट विभाग से ई.टी.एस. एवं डी.जी.पी.एस. मशीन द्वारा अपने खसरे का सीमांकन करवा सकता है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.09.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner